कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-3 / 50 / 2019 / 10-11 / 6 / 27 प्रति.

भोपाल, दिनांक ०५-०8-22

वन महानिरीक्षक,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन,

जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:–जिला दितया एवं जिला ग्वालियर के अन्तर्गत माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु 1305.142 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र—2 डबरा जिला ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-28/2021-FC दि. 03.03.2022

विषयांतर्गत भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से प्रकरण मे चाही गई अतिरिक्त vii बिन्दुओं जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन				
i	As per the KML file submitted, the total area within proposed submergence zone is 3145.252 ha instead of 3149.648 ha. Moreover, the total forest area has been found to be 1303.802 ha instead of 1248.821 ha proposed for diversion. State Govt. is required to look into the matter and submit correct proposal along with all requisite documents.	इस परियोजना में प्रभावित वन क्षेत्र का पुनः परीक्षण करने पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 1305.142 हेक्टेयर पाया गया है। तदानुसार प्रभावित वनभूमि 1305.142 हेक्टेयर की KML file भाग—1 में अपलोड की गई है। तदानुसार प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों की संख्या में भी परिवर्तन किया गया है। प्रस्ताव में ग्वालियर वनमण्डल की 323.785 हेक्टेयर तथा दितया वनमण्डल की 981.357 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वनभूमि का रकबा परिवर्तित होने के कारण वनमण्डलाधिकारी, दितया एवं ग्वालियर द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।				
ii	The correct KML file of 1303.802 ha forest land/area proposed for diversion may be submitted /uploaded on PARIVESH portal.	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि 1305.142 हेक्टेयर की KML file भाग—1 में अपलोड की गई है।				
iii	The land identified for CA has to be suitable for plantation. In this regard the committee constituted by the State Govt. has also recommended that the Ravine lands are a unique areas and Compensatory	इस परियोजना में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये अन्य गैर वनभूमियां उपलब्ध नहीं है। मुरैना वनमण्डल में वर्ष 2013—14 में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त इसी प्रकार की भूमियों (Ravines) में वृक्षारोपण सफल रहे हैं। इस प्रस्ताव में प्राप्त गैर				

क्र.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
я 7.	Afforestation can be carried out on such lands only if other, Suitable areas are not available. The State Govt. shall therefore identify suitable land (other than Ravine land) for raising Compensatory Afforestation.	वनभूमियों पर भी इसी अनुरूप रोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु भिण्ड वनमण्डल में एक मॉडल वृक्षारोपण योजना 50 हेक्टेयर की तैयार की गई है। इस योजना में 300 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से रोपण करने के प्रस्ताव है। इस योजना की एक प्रति संलग्न है। इस योजना की एक प्रति संलग्न है। इस संबंध में यह अनुरोध है कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का निरीक्षण जब किया जायेगा तत्समय वर्ष 2013–14 में मुरैना वनमण्डल में Ravines क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण के तहत् किये गये रोपणों का अवलोकन करवा दिया जायेगा। यदि भारत सरकार द्वारा Ravines क्षेत्र को क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्वीकार कर लिया जाता है तो गैर वन भूमि पर 300 पौधे प्रति हेक्टेयर की विस्तृत योजनाएं तथा शेष 700 पौधे बिगड़े वनों में लगाने की विस्तृत योजनाएं प्रस्ताव FAC में जाने के पूर्व प्रस्तुत कर दी जायेगी। इस विषय पर नोडल अधिकारी, म.प्र. द्वारा श्री रमेश कुमार पाण्डेय, वन महानिरीक्षक से भी चर्चा की गई थी तथा उनके द्वारा Ravines क्षेत्रों को CA हेतु मान्य करने की सहमित दी थी।
iv	CA patches proposed in the villages namely Sankri, Sikata and Bilaw are still within the Protected Forests (PF) partially, which cannot be accepted for CA.	इन तीनों ग्रामों में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु दी गई गैर वन भूमि में जो भूमि वनभूमि की सीमा में आ रही थी, उन्हें पृथक करते हुए संशोधित KML file पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इस कार्य में गैर वनभूमि में जो रकबा कम हुआ है, उसके विरुद्ध आवेदक संस्था ने शिवपुरी में अतिरिक्त गैर वन भूमि उपलब्ध कराई है।
V	The detailed Compensatory Afforestation scheme for the suitable NFL so identified is required to be submitted.	जैसा कि बिन्दु क्रमांक iii में उल्लेख किया है कि अभी सेम्पल के तौर पर भिण्ड में 50 हेक्टेयर

क्र.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
vi	The correct enumeration detail of the trees along with local and scientific names has still not been submitted in the Part-II of the application.	इस परियोजना में प्रभावित वृक्ष मिश्रित प्रजातियों के हैं। प्रभावित वृक्षों की संख्या भाग—2 में अपलोड कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा सिंचाई प्रकरणों में FRL-4 के वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाती है। अतः FRL-2 के वृक्षों की गणना नहीं की गई है।
vii	The copy of technical approval of CAT plan issued vide letter dated 04.02.2022 has not been submitted/uploaded.	इस स्वीकृति की प्रतिलिपि भाग—2 में अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड कर दी गई है। एक प्रति पत्र के साथ भी संलग्न है।

अतः उपरोक्त जानकारी संलग्न कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की प्रथम चरण सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें। संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-3 / 50 / 2019 / 10-11 / 6 / 2742 प्रतिलिपिः- भोपाल, दिनांक ्य/ ८८/22

- 1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- 2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दितया, मध्यप्रदेश।
- 3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- 4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, भिण्ड, मध्यप्रदेश।
- 5. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.—2 डबरा, जिला—ग्वालियर, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

Office of the Divisional forest officer, Forest Division, Datia (M.P.)

Site inspection Report

I, Priyanshi singh rathore, have been working as deputy conservator of forest and posted as divisional forest officer, Forest Division, Datia (M.P.)

Project manager, maa ratangarh, PIU Seondha, Datia (M.P.) wide letter no. 52/TS/2019 dated 26-12-2019 have submitted demand letter for diversion of forest land for non-forestry use under Forest Conservation Act,

1980 for Maa Ratangarh multipurpose project in district Datia and Gwalior as detailed below:-

Sr. No.	District	Division	Range	Copt. No.	Forest area proposed for divesion in hect.	Legal status
1	Datia	Datia	Seondha	P-22	31.973	Protected
2	_"_	_"-	_"_	P-27	0.950	Protected
3	_"_	-"-	_"_	P-29	19.609	Protected
4	_"_	_66_	_"_	P-29	2.537	Protected
5	_"-	_"-	_"-	P-30	2.214	Protected
6	_"_		_"_	R-31	183.681	Reserved
7	_"_		-"-	P-25, P-22, P-23, P-24, P-26, P-14, P-15, P-16	438.467	Protected
8	_"-	_"_	_"_	R-32, R-33, R-34, R-35	301.926	Reserved
TOTAL					981.357	

I have inspected the above site on dated 07-02-2020, 15-06-2020 And Again On 29.07.2022 for mentioning fact as submitted by the used agency, project manager, Maa Ratangarh, PIU, Seondha, Datia (M.P.) and for concluding departments recommendation in proposed diversion of forest land as mentioned above for non-forestry use under Forest Conservation Act, 1980.

I am submitting my site inspection report in prescribed format as below:-

	Tam submitting my site inspection report in prescribed format as below.								
Si.No.	Particular	Inspection Report by DFO (T) Datia							
1	Extent Hectares	981.357 Hectares							
2	Location (Lat-Long) of the forest land Proposed for	KML file has been uploaded in part-1 of							
	diversion	the said application							
3	Legal status of the forest land (Protected forest,	Protected forest land -495.750 Hc. &							
	reserve forest, revenue forest land and any other	Reserve forest land -485.607 Hc.							
	forest land)	Total- 981.357 Hc.							
4	Demarcation of the area with temporary claims etc.	Yes							
5	Any signs of encroachment.	No							
6	Any activity already taken up within the forest land	No							
	or adjoining non-forest land as part of the Proposed	-							
	project by the user agency. Details of action taken								
	against the user agency in case of violation of the FC								
	Act. and guidelines there under.								
7	Status of Vegetation Site Quality Species	The proposed area for diversion scurb							
	composition etc.	forest with vegetation of 0.3 density and							
		ecoclass 3. The most commonly found							
		trees and bushes of Kardhai, Palas, Khair,							
		Remja, Prosophis, & others Fuel.							
8	Importance of area from wildlife point of view status	Wild Animals like Hyna, spotted deer,							
	of wildlife (Density and abundance of important	wolf, wild bear, etc are found in the area.							
	species bird the reptiles, butterflies and other								
	scheduled animals, any endangered wildlife). Any								
	latest census of wildlife in the area.								
9	Endemism of flora/fauna or any other unique	No							
	ecosystem in the area.								
10	Current land use is this area managed as per	The area being managed as per working							
	prescriptions in the working plane and if not why?	plan provisions.							

11	Importance of the area from historical or religious	No
	point of view.	37
12	Any dependent person families on this land.	Yes
13	Any displacement of pension proposed.	Yes
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement plane for	User agency need to compensate for
1	the persons to be affected? Is there any dissenting	rehabilitation and resettlement for the
	voice among the persons proposed to be displaced?	villagers (list of villages is mentioned in
		the document submitted by the user
		agency in which 8 villages are fully
		submerged and 16 villages are partially
		submerged)
15	Compensatory afforestation proposed is on forest	626.06 Ha. Of land for CA has been
	land or non forest land.	allotted in Bhind distt. But allotted area is
	Location of the area suitability of the area for ca. if in	not according to point no. 7 of the
	the degraded forestland then what is the current	guidelines of M.P. Forest Department
	working plane precipitation for the area? Distance of	Letter No. 2090 dated 31.07.2020 (Leter
	the non forest land for ca from the nearest forest Area	by DFO Bhind attached). Rest of the Land
	number of patches in case the area should be more	for CA has not been allotted by user
	than to Kms.	agency yet.
16	Proposed area should not be part of any protected	Out of 10 Kms.
	area. also distance from the boundary of the nearest	
	protected area should be more than 10 Kms.	N
17	Dependence of tribles in the area whether the right of	No
	the tribal's have been recognized in the area.	A ' 14 well-level arment of level arms is
18	Utility of the project, including to the people living in	Agricultural development of local area is
	close vicinity of the project.	expected for the people living in close
	3 11 11 11 11 11 11	vicinity of the project.
19	In case of renewal whether all the condition	No
	Stipulated in the earlier sanction order have been	
	complied with.	V
20	Alternatives examined by the user agency in case of	Yes
	non side specific projects.	37
21	A certificate by the user agency that the forest land	Yes
	requested for diversion for non forestry purpose is	
	bare minimum.	NI-
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that	No
	the proposed project for which the forest land is	
	being diverted is also not adversity affected.	NT-
23	Any other issue of significance.	No
24	Specific recommendations of the DFO with reasons	Diversion of land for project is for the
	for approval of the project.	benefit of the people in agriculture and will also generate employment. So,
		will also generate employment. So, project is recommanded.
		project is recommanded.

Divisional Forest officer Place Datia Date: 29.07.2022

Office of The Divisional Forest Officer, Forest Division Datia (M.P.)

RECOMMENDATION

Maa Ratangarh Multipurpose Project is benifiting people in agriculture and will also genrate Employment.

On the besis, I Priyanshi Singh Rathore have been working as Deputy Conservator of Forest and Posted as Divisional Forest Officer, Forest Division Datia, hereby recommend this Proposal of Diversion of proposed Forest Area 981.357 Hactare, for Non-Forest use Under Forest (conservation) Act 1980, by The Project Manager Maa Ratangarh PIU Sewda Datia (M.P.)

Place: Datia

Date: 29.07.2022

(Priyanshi Singh Rathore)

IFS

Divisional Forest Officer Forest Division Datia (M.P.)

Office of the Divisional forest officer Forest division Gwalior (M.P.)

Site inspection Note

I, Brijendra Srivastava, have been working as deputy conservator of forest and posted as divisional forest officer, forest division Gwalior (M.P.)

Project manager, Maa Ratangarh PIU Sewda Datia (M.P.) Wide letter no.52/T.S./2019 dated 26-12-2019 have submitted demand letter for 'Diversion of forest land for non-forestry use' under Forest (Conservation) Act, 1980 for Maa Ratangarh Multipurpose Project in district Gwalior and Datia. District

Gwalior details are below-

S.No.	District	Division	Range	compt. no.	Forest area proposed for diversion in hect.	Legal Status
1	Gwalior	Gwalior	Behat	PF-179	20.500	Protected
2 '	_"_	_"_	_"_	PF-177	134.885	Protected
3	_"_	_"_	_"_	RF 139	96.500	Reserved
4	_"_	_"_	_"_	RF 138	49.000	Reserved
5	_"'_	_"_	_"_	RF 137	22.900	Reserved
		Total			323.785	

I have inspected the above site on dated 29-07-2022 for mentioning facts as submitted by the user agency, Project manager, Maa Ratangarh PIU Sewda Datia (M.P.) and for concluding departments recommendation in proposed diversion of forest land as mentioned above, for non-forestry purpose under Forest (Conservation) Act. 1980.

I am submitting my site inspection report on prescribed format as below-

Si.	Particular	
No.	Faiticulai	Inspection Report By CCF/DFO (T)
1	Extent in hostores	200 705 1
	Extent is hectares.	323.785 hectares.
2	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	KML file has been uploaded in part-1 of the said application.
3 .	Legal status of the forest land (Protected forest, reserved forests, revenue forest lands or any other forest land)	Reserve forest land- 168.4 hect. Protected forest land- 155.385 hect. total - 323.785 hect.
4	Demarcation of the area with temporary claims etc.	Yes
5	Any signs of encroachment.	No
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user Agency in case of violation of the FC Act. and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	The proposed area for diversion is scurb forest of density 0.3 and Eco class 3. The mostly Commonly found tree and bushes of khair and kardhai & others Fuel.
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird	wildlife activity exists in this forcet land
	life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	proposed for diversion. Generally Jackal, chinkara, hyena, hare, nilgai are found in this area.
9 .	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	No
10	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the Working plan and, if not, why?	The area is being managed as per the working plan provisions.

	view.	
12	Any dependent persons/families on this land.	Yes
13	Any displacement of persons proposed.	Yes
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	User agency need to compensate for rehabilitation and resettlement for the villagers of Jigniya village.
15	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Compensatory afforestation is proposed in Bhind and Shivpuri district.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 kms.	Proposed area is at the distance of 52.03 Kms. from Sanctuary Ghatigaon.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area	No
18	vicinity of the project, including the people living in close vicinity of the project.	Agriculture development of local area is expected for the people living in close vicinity of the project.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	No
20	site specific projects.	Yes
21	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	Yes
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	No
23	Any other issue of significance.	None.
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	Diversion of forest land for project is for the benefit of the people in agriculture and will also generate employment. So, project is recommended.

Place: Gwalior Date: 29-07-2022

(Brijendra Srivastava)
Divisional Forest Officer
Division Gwalior (M.P.)

Office of the Divisional forest officer Forest division Gwalior (M.P.)

RECOMMENDATION

Maa Ratangarh Multipurpose Project is benifiting people in agriculture and will also generate Employment.

On this basis, I Brijendra Srivastava, working as deputy conservator of forest and posted as divisional forest officer, Forest division Gwalior. hereby recommend this proposal of diversion of proposed forest area 323.785 hectare, for non-forestry purpose under Forest (Conservation) Act, 1980 by the Project manager, Maa Ratangarh PIU Sewda Datia (M.P.).


Place: Gwalior

Date: 29-07-2022

(Brijendra Srivastava) Divisional Forest Officer Division Gwalior (M.P.)

ग्रामान्य दान मण्डल हिल

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग

मॉ रतनगढ परियोजना क्षतिपूर्ति वनिकरण

परियोजना का नाम

क्षतिपूर्ति वनिकरण वृक्षारोपण

स्थल का नाम

.

क्षेत्रफल

50 हे.

वर्ष

2022-23 से 2028-29

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- मॉ रतनगढ क्षतिपूर्ति वनिकरण योजना वृक्षारोपण

2. जिला :- भिण्ड

3. वनमण्डल :- भिण्ड

4. परिक्षेत्र :- -

5. तहसील :- भिण्ड

6. ग्राम पंचायत :- -

7. रथल का नाम :- -

8 कक्ष क्र. :- -

9 मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली

10 साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

- 1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 15000 नग
- 2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :—बांस,शीशम,नीम,चिरोल,करंज,देशी बबूल,गुरगल।
- 3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :— क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल सरंक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू—जल सरंक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
- 4. क्षेत्र की सुरक्षा :-वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती तथा जीवित वागड़ निर्माण कार्य किया जावेगा। इसके अतिरिक्त सुरक्षा श्रमिक रखकर योजना में सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
- 5. सिलरीकल्वर ऑपरेशन :— क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
- 6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 06 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
- 7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :— रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की रिथिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्ठि रोपण पंजी में की जावेगी। समय—समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय—समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :—

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	१०० प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय / शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधें स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वन परिक्षेत्रीधिकारी वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल भिण्ड के अंतर्गत रकबा 50 है. में मॉ रतनगढ़ परियोजना में क्षितिपूर्ति वनिकरण योजना अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 300 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू—जल सरंक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।

उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वन परिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

मॉ रतनगढ परियोजना क्षतिपूर्ति वनिकरण वृक्षारोपण प्राकलन सामान्य वनमण्डल भिण्ड

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा 50

हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष संख्या ३०० पौधे प्रति हेक्टेयर दर-३५१ / -मा.दि.

क्र	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस			(0.4)	
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	50	ha	0.45	हे0	22.0	7722	जॉबदर
2	क्षेत्र सफाई (हे0)	50	ha	4.00	प्रति हे0	200.00	70200	जॉबदर
3	पशु अवरोध खंती निर्माण कार्य (1.50X0.90X0.75 mtr)	500	Rmt	0.6	Rmt	300.00	105300	जॉबदर
4	जीवित बागड़ चिन्हांकन कार्य	500	Rmt	0.15	Rmt	75.00	26325	जॉबदर
5	जीवित बागड़ निर्माण कार्य (1X0.90X0.45 mtr)	500	Rmt	0.22	Rmt	110.00	38610	जॉबदर
6	गड्ढ़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	15000	गड्ड	2.5	प्रति हजार	37.50	13163	जॉबदर
7	रोपण हेतु गडढ़ा खोदाई कार्य							
1	45x45x45 cm.	15000	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	750.00	263250	जॉबदर
8	भू-जल संरक्षण कार्य							
	कन्दूट्रेंच चिन्हांकन कार्य	1000	Rmt	0.15	Rmt	150.00	52650	जॉबदर
	कन्टूट्रेंच निर्माण (1X0.90X0.45 mtr)	1000	Rmt	0.22	Rmt	220.00	77220	जॉबदर
A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN	निद्टी के बड़े चैकडेम निर्माण मशीन द्वारा	6000	Cmt	0.6	Cmt	3600.00	1263600	जॉबदर
-	1 हट निर्माण		L.S.			150.00	52650	अनुमानित
0	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					120.00	42120	अनुमानित
1	योग					5734.50	2012810	

उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

अंसिचित

योजना का द्वितीय वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रू.में)	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	गोबर खाद डालने हेतु क्य आयतन का 15 प्रतिशत	170.86	घ०मी०	3	घ०मी०	512.58	179916	अनुमानि
	आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडढ़ों में डालना	15000	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	225.00	78975	जॉबदर
3	बीज बुवाई हेतु बीज क्रय(प्रोसोपिस,देशी बबूल,शीशम, खैर)	250	कि.ग्रा.	0.64	कि.ग्रा.	160.00	56160	जॉबदर
	बीज बुवाई कार्य	3000	र.मी.	0.006	र.मी.	18.00	6318	जॉबदर
5	डिब्लिंग पद्धति से बीज बुवाई कार्य	50000	नग	0.2	सैकड़ा	100.00	35100	
	रोपण कार्य							जॉबदर
6	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत मय केज्युअल्टी के साथ संख्या	16500	पौधे	0.03546	पौधा	585.09	205367	जॉबदर
1	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा क्रय संख्या 10 प्रतिशत	1500	पौधे	0.03546	पोधा	0.53	187	जॉबदर
1	पौधों का परिवहन (संख्या)				THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NA		0	-
1	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	19800	पीधे	1.5	सैकड़ा	297.00	104247	जॉबदर
- 1	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	19800	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	79.20	27799	जॉबदर
8 -	रोपण कार्य			-			0	Ollact
	45x45x45 cm.	16500	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	297.00	104247	जॉबदर
9 -	नृत पौधे बदलने का कार्य						0	-1114
marin kan	45x45x45 cm.	1500	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	22.50	7898	जॉबदर
0 2	प्रथम निंदाई गौधों में						0	
	विद्यार्थ न द्वेतीय निदाई	16500	गड्डं	1.25	प्रति सैकडा	206.25	72394	जॉबदर
1	विधा में						0	
	बाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	15000	गड्डे	The same many or one construction with the	प्रति सैकड़ा	150.00	52650	जॉबदर
mercy rises		16500	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	99.00	34749	जॉबदर
Anne	मन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन मीटर चौडी						0	
	मीटर चौडी	7000	mtr	3.35	किमी	23.45	8231	जॉबदर
	न्रिक्षा ०२ श्रमिक ९ माह	17000	mtr	2.25	किमी	38.25	13426	जॉबदर
	प्यलब्धता अनुसार सिंचाई	9	माह	60	प्रति श्रमिक	540.00	189540	जॉबदर
	न्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)	15000			अनुमानित	550.00	193050	अनुमानित
15	च प्रवच (काटनाराक खाद आदि क्रय)					100.00	35100	अनुमानित
-	and the second s				योग:-	4002.05	1405352	

उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्रीधिकारी वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र. योजना का तृतीय वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रू.में)	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	बीज बुवाई हेतु बीज क्रय(प्रोसोपिस,देशी बबूल,शीशम, खैर)	25	कि.ग्रा.	0.64	कि.ग्रा.	16.00	5616	जॉबदर
2	बीज बुवाई कार्य	3000	र.मी.	0.006	र.मी.	18.00	6318	जॉबदर
	रोपण कार्य							
3	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा क्रय संख्या 10 प्रतिशत	1500	पौधे	0.03546	प्रति पौधा	53.19	18670	जॉबदर
and the same	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	
4	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1500	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	22.50	7898	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	1500	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	6.00	2106	जॉबदर
5	मृत पौधे बदलने का कार्य	1500	पौधे	1.5	प्रति पौधा	22.50	7898	जॉबदर
6	प्रथम निंदाई	<u> </u>					0	
	पौधों में	15000	गड्डे	1.25	प्रति सैकड़ा	187.50	65813	जॉबदर
	द्वितीय निदाई						0	
7	पौधों में	15000	गड्डे	1	प्रति सैकड़ा	150.00	52650	जॉबदर
15	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	15000			अनुमानित	550.00	193050	अनुमानित
8	सुरक्षा समिति द्वारा / 02 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	60	प्रति श्रमिक	720.00	252720	जॉबदर
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)			The second secon		75.00	26325	अनुमानित
-	2	ोग:-	100000000000000000000000000000000000000		L	1820.69	639062	

उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र. योजना का चतुर्थ वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य व	ी मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 02 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	60	प्रति श्रमिक	720.00	252720	जॉबदर
2	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)	MAN				68.00	23868	अनुमानित
		योग:-	I.			788.00	276588	

उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र. वनपरिक्षेत्रीविकारी वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य का विवरण		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रू.में)	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई	entre en		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 02 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	60	प्रति श्रमिक	720.00	252720	ऑबदर
2	अन्य व्यय					50.00	17550	अनुमानित
	योग:					770.00	270270	-

योजना का षष्ठम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रू.में)	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई	e e		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 02 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	60	प्रति श्रमिक	720.00	252720	जॉबदर
2	अन्य व्यय					50.00	17550	अनुमानित
	योग:					770.00	270270	

योजना का सप्तम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 02 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	60	प्रति श्रमिक	720.00	252720	जॉबदर
2	अन्य व्यय					50.00	17550	अनुमानित
					योग:-	770.00	270270	

उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

माँ रतनगढ परियोजना क्षतिपूर्ति वनिकरण योजना अंतर्गत वृक्षारोपण

षष्टम सप्तम	770.00	270270 270270	1.3382	1030.41	361675
पंचम .	770.00	270270	1.2625	972.13	329416 341216
चतुर्थ	788.00	276588	1.191	2045.73 938.51	718050
तृतीय	1820,69	639062	1.1236	4244.08	1489672
द्वितीय	4003.85	1405351	1.06	5734.50	2012810
प्रथम	5734.50	2012810	1		
वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रू.में)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राहि (रू.में)

उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्रीधिकारी वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं./एफ-3/50/2019/10-11/6/07

भोपाल, दिनांक 04/02/2022

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील गाईड लाईन के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र० भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ—3 / 2019 / 10—11 / 03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी। मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य के परीक्षण उपरांत तकनीकी स्वीकृति

वनमण्डल	योजना का नाम	उपचार भूमि हेतु रकबा	राशि
का नाम		(वर्ग कि.मी. में)	(लाख मे)
दतिया एवं	मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना	12739.00	2050.00
ग्वालियर	(1248.821 हेक्ट.)		

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेंगी :--

1. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.—2 डबरा, जिला—ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।

2. वनमण्डलाधिकारी, दितया एवं वनमण्डलाधिकारी, ग्वालियर इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावें। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।

3. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।

4. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

5. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर

ही कार्य किया जावें।

6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावें।

7. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।

8. कार्य प्रांरभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रांरभ करावें।

> प्रिनील अग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रं. / एफ-3 / 50 / 2019 / 10-11 / 6 / 46/ प्रतिलिप:-

भोपाल, दिनांक 04/02/2022

- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- 4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, दतिया, मध्यप्रदेश।
- 5. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- 6. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.—2 डबरा, जिला—ग्वालियर, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल